A2/2

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी — श्रीमती रीना छींम्पा, R.A.S.
Camp - Dullapur Keri

वादपत्र संख्या 66 / 2018
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

सुखदेवसिंह आयु 50 वर्ष आत्मज श्री बृजलाल, जाट, शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादी

बनाम

1. बृजलाल आत्म्ज श्री लिखमाराम, जाट, शिवपुर फतूही,
2. श्रीमती कृष्णा चौधरी आत्मजा श्री बृजलाल धर्मपत्नी श्री कृष्णकुमार, जाट, सनसिटी हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ,
3. श्रीमती कौशल्या आत्मजा श्री बृजलाल धर्मपत्नी श्री काशीराम, जाट, चक 3 के मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.
5. एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक, शाखा शिवपुर फतूही

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री ऋषिपाल जोशी (वादी)
श्री विजयकुमार भाटी (प्रतिवादी–1से3)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–4)

दिनांक 29 जून, 2018

— निर्णय —

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 1 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 12/9 मुरब्बा नम्बर 30, 31, 32, 36, 37, 38, 43, 47 की कुल 22.810 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से वादी के पिता श्री बृजलाल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 5.710 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है. उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के दादा श्री लिखमाराम आत्मज श्री हेमाराम द्वारा अपने जीवनकाल में किये गये विभाजन की पालना में नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 26 फरवरी, 1978 द्वारा प्राप्त हुई थी. इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त परिवार में निवास करते थे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारस्परिक सहमति से उक्त कृषि भूमि का विभाजन किया गया जिसके अनुसार वादी श्री सुखदेवसिंह आत्मज श्री बृजलाल को — चक 1 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 12/9 के मुरब्बा नम्बर 30, 31, 32, 36, 37, 38, 43 एवं 47 की कुल 22. 810 में से 5.710 हैक्टर कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा अर्थात 1.903 हैक्टर कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 श्री बृजलाल आत्मज श्री लिखमाराम को– चक 1 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 12/9 के मुरब्बा नम्बर 30, 31, 32, 36, 37, 38, 43 एवं 47 की

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

कुल 22.810 में से 5.710 हैक्टर कृषि भूमि में से 2/3 हिस्सा अर्थात 3.807 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा के अनुसार अपने अपने हिस्सा में आयी उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त हैं. इसी घरेलू बंटवारा के अनुसार वादी को प्राप्त कृषि भूमि की घोषणा की जाकर राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम पर दर्ज किया जाना आवश्यक है. जिसके अभाव में वादी अपने हिस्सा पर किसी भी प्रकार के स्वामित्व अधिकार एवं राजस्व सम्बन्धी अधिकार उपलब्ध नहीं है. वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग नहीं कर सकता व न ही उस कृषि भूमि पर ऋण, सरकारी ऋण, क्षतिपूर्ति आदि की सुविधा ही प्राप्त कर सकता है. राजस्व अभिलेखों में प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि से वादी को बेदखल कर अन्तरित करने की धमकियां देता है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 गलत तरीका से अन्तरित करने में प्रयासरत है इसलिये वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है. वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 14 मार्च, 2018 को विभाजन में दी गयी कृषि भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाने हेतु कहा गया तो प्रतिवादी संख्या 1 साफ इन्कार हो गया. यही वाद हेतुक वादी को उपलब्ध है. इस प्रकार वादी द्वारा वादी श्री सुखदेवसिंह आत्मज श्री बृजलाल को – चक 1 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 12/9 के मुरब्बा नम्बर 30, 31, 32, 36, 37, 38, 43 एवं 47 की कुल 22.810 में से 5.710 हैक्टर कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा अर्थात 1.903 हैक्टर कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 श्री बृजलाल आत्मज श्री लिखमाराम को– चक 1 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 12/9 के मुरब्बा नम्बर 30, 31, 32, 36, 37, 38, 43 एवं 47 की कुल 22.810 में से 5.710 हैक्टर कृषि भूमि में से 2/3 हिस्सा अर्थात 3.807 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार घोषित करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 1 ई बड़ी की जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070, चक 1 ई बड़ी के नामान्तरकरण संख्या 24 की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 4 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 5 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त नहीं.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 7 मई, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादी की पहचान अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री विजयकुमार भाटी द्वारा की गयी. अतिरिक्त वादी के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 5013 6701 2927, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 6089 8221 0055, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 7751 0826 2137, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 2830 4549 1596 की स्वः

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रमाणित चित्रित प्रतियां प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा कैम्प–18 जी.जी. में जवाब वादपत्र दिनांक 01 जून, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र में वादी द्वारा लिखमाराम की कोई वंशावली या श्री बृजलाल के वारिसों का कोई विधिक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है वादी द्वारा वादपत्र में श्री बृजलाल के कुल चार वारिस अंकित किये गये हैं यदि वादी की बात पर विश्वास किया जाता है तो भी वादी के पिता श्री बृजलाल सहित बाकी का 1/5 नोशनल हिस्सा बनता है. जिसमें 1.142 हैक्टर वादी के हिस्सा में आती है. वादी का 1/5 नोशनल हिस्सा बनता है जिसे प्रतिवादी की सहमति से कभी भी प्राप्त कर सकता है. यह दावा प्रतिवादी संख्या 1 की मिलीभगती से लाया गया है. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जाहिर है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सहमत हैं. इस प्रकार सहमति से विभाजन प्रस्तुत कर सकते हैं मौका पर अलग से कोई कब्जा काश्त नहीं है. इस प्रकार वादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, जवाब राज्यपक्ष एवं अभिलेखीय साक्ष्य स्वरूप चक 1 ई बड़ी की जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 एवं चक 1 ई बड़ी के नामान्तरकरण संख्या 24 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि अपने पिता द्वारा किये गये विभाजन के परिणामतः प्राप्त हुई है ऐसी स्थिति में, वादी को वादपत्र में श्री लिखमाराम की वंशावली प्रस्तुत करने की कतई आवयकता नहीं है इसके अतिरिक्त, वादपत्र में श्री बृजलाल की वंशावली अंकित की गयी है. प्रस्तुत वादपत्र में वादी की बहिनों को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 स्थापित किया गया है. ऐसी स्पष्ट परिस्थति में, विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नहीं है. पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप्प प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिकी किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है. इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रकिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा/लोक अदालत प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका है. विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों (2015(1) RRD 283 Mahadev & ors vs. Vijendrasingh & ors.) के अनुसार सहमति के आधार पर जोत के विभाजन के मामलों में राजस्व अधिकारी

इस तरह की आपत्ति नही लगाये कि सह कृषकों ने बंटवारा में अपने हिस्सा कम–अधिक क्यों कर लिया.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, जवाब राज्यपक्ष एवं अभिलेखीय साक्ष्य स्वरूप चक 1 ई बड़ी की जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 एवं चक 1 ई बड़ी के नामान्तरकरण संख्या 24 के अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 श्री बृजलाल को अपने पिता श्री लिखमाराम द्वारा किये गये विभाजन के परिणामतः प्राप्त हुई है, के परिदृश्य प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा एवं यथा विभाजन करवाने के अधिकारी हैं.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 7 मई, 2018 के अनुसार ही **वादी श्री सुखदेवसिंह आत्मज श्री बृजलाल को** – चक 1 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 12/9 के मुरब्बा नम्बर 30, 31, 32, 36, 37, 38, 43 एवं 47 की कुल 22.810 में से 5.710 हैक्टर कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा अर्थात 1.903 हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 1 श्री बृजलाल आत्मज श्री लिखमाराम को** – चक 1 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 12/9 के मुरब्बा नम्बर 30, 31, 32, 36, 37, 38, 43 एवं 47 की कुल 22.810 में से 5.710 हैक्टर कृषि भूमि में से 2/3 हिस्सा अर्थात 3.807 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के ऋणाधीन है इसलिये निर्णय का निष्पादन कृषि भूमि के ऋणमुक्ति से पूर्व नहीं किया जा सकेगा. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश खुले लोक अदालत न्यायालय कैम्प– दुल्लापुरकेरी में आज दिनांक 29 जून, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती [illegible] छींपा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर.

A2
6

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.

सुखदेवसिंह आयु 50 वर्ष आत्मज श्री बृजलाल, जाट, शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादी

बनाम

1. बृजलाल आत्म्ज श्री लिखमाराम, जाट, शिवपुर फतूही,
2. श्रीमती कृष्णा चौधरी आत्मजा श्री बृजलाल धर्मपत्नी श्री कृष्णकुमार, जाट, सनसिटी हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ,
3. श्रीमती कौशल्या आत्मजा श्री बृजलाल धर्मपत्नी श्री काशीराम, जाट, चक 3 के मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.
5. एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक, शाखा शिवपुर फतूही

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 66/2018
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी, श्री विजयकुमार भाटी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–4) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी श्री सुखदेवसिंह आत्मज श्री बृजलाल को – चक 1 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 12/9 के मुरब्बा नम्बर 30, 31, 32, 36, 37, 38, 43 एवं 47 की कुल 22.810 में से 5.710 हैक्टर कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा अर्थात 1.903 हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 1 श्री बृजलाल आत्मज श्री लिखमाराम को** – चक 1 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 12/9 के मुरब्बा नम्बर 30, 31, 32, 36, 37, 38, 43 एवं 47 की कुल 22.810 में से 5.710 हैक्टर कृषि भूमि में से 2/3 हिस्सा अर्थात 3.807 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के ऋणाधीन है इसलिये निर्णय का निष्पादन कृषि भूमि के ऋणमुक्ति से पूर्व नहीं किया जा सकेगा.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... ....दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29 जून, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर